संख्या -2211 /अड़तीस-5-10-20 संजल
/2010 (टी०सी०-अ)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2010

विषयः भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण समुदाय हेतु नियमित रूप से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। पेयजल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेयजल योजनायें अपने जीवनकाल (Design Period) तक समुचित सेवा उपलब्ध करायें तथा पेयजल की गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो।

प्रदेश में प्रत्येक जनपद स्तर पर पूर्व से ही जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु संस्थागत व्यवस्था विद्यमान है तथा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति भी गठित है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने के उददेश्य से तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उसके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का पुर्नगठन निम्नवत गठित किया जाता है :-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

(1) जिला पंचायत अध्यक्ष --पदेन अध्यक्ष
(2) सम्बन्धित जनपद के मा0 सांसद (लोकसभा / राज्य सभा) - सदस्य
(3) सम्बन्धित जनपद के मा0 सदस्य विधान सभा / विधान परिषद -सदस्य
(4) अध्यक्ष, (शिक्षा समिति, / निर्माण कार्य समिति / स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति / जलप्रबन्धन समिति) जिला पंचायत -सदस्य

G/2010/...DOC